संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17/दस-2016-301(9)2011

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांकः 06 अक्टूबर, 2016

विषयः- दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान की अनुमन्यता।

महोदय,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, उनके विकलांग हो जाने अथवा चोट/विकलांगता के कारण सेवानिवृत्त हो जाने की दशा में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/आसाधारण पेंशन एवं उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से शासनादेश संख्या- सा-3-1613/दस-2011-301(9)/2011, दिनांक 05.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गयी थी। इसके उपरान्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी हेतु शासनादेश संख्या-13/सा-3-393/दस-2014-301(23)/2014, दिनांक 31.10.2014, अधिसूचना संख्या-21/2015/सा-3-1038/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 06.11.2015 एवं शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)/2011, दिनांक 19.05.2016 निर्गत किये गये।

2- केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी. डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिये लागू नियम और शर्तों पर "सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान" का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/5/2012-पी.एंड.पी.डब्लू(एफ)/बी, दिनांक 26.08.2016 के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायमेंट बेनीफिट्स रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य होगा। यह आदेश राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनमें दिनांक 01.04.2005 के पूर्व राज्य सरकार की पेंशन योजना की भाँति पेंशन योजना लागू थी और जिनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य थे।

4- यह आदेश दिनांक 01.04.2005 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-31/2016/सा-3-जी0आई0-17(1)/दस-2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्यूलेटरी एण्ड डेवलेपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।
3- श्री चन्द्रशेखर तिलक, एक्जीक्यूटिव वाईस प्रेसिडेन्ट, एन0एस0डी0एल, मुम्बई।
4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

--3--

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 शासन ।
9- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन ।
10- मुख्य लेखाधिकारी, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।